न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,

(हाल कार्यालय-राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक:- 2061 दिनांक:- 31-12-88.

वाद संख्या:-
1- 10/83(41)
2- 10/83(36)
3- 10/83(44)
4- 10/83(54)
5- 10/83(58)
6- 10/83(66)
7- 10/83(63)
8- 10/83(67)
9- 10/83(90)
10- 10/83(91)
11- 10/83(92)
12- 10/83(95)
13- 10/83(102)
14- 10/83(123)
15- 10/83(139)
16- 10/83(147)
17- 10/83(161)

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम श्योपुर, सांगानेर, तम्बाला ।

पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री बी०एम०शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

पक्षकारान्:-
1- श्री रामदास पुत्र लक्ष्मीनारायण व मुन्नादेवी पत्नि बाबूलाल जाति छीपा ।
2- श्री जगन्नाथ पुत्र नानगा, मंगल्या पुत्र लोदू ।
3- श्री औंकार पुत्र घासी हि. 1/4, धन्ना, गुल्ला शिवनारायण 1/2, काना, रूपा, नन्दलाल, -

क्रमशः-2--

-फूल्या पुत्रान मगोराम व पूरण पुत्र मगोराम नाबालिग जरिये संरक्षण मु. ग्यारसी बेवा मगोराम माता खुद हि. 1/4. ।

4- श्री केशरा पुत्र गंगाराम जाति माली ।

5- श्री नारायण पुत्र भेडूराम जाति माली ।

6- श्री मांगीलाल, छोटीलाल, बाबूलाल, रामपाल पि०डूँगाराम ।

7- श्री मांगीलाल, छोटीलाल, बाबूलाल व रामलाल पि. डूँगाराम । जाति माली ।

8- श्री रूगनाथ, मूलचन्द पि०जमान हि. 2/3, भौरीलाल, नानगराम, गुलाबचन्द, गोपाल, ख्याली, पप्पू पि. भेवा हि. 1/3 हि. व. खसरा नं०170 की खातेदारी गौरू पुत्र मुकन्दा 1/2 आधेहिस्से में उपरोक्त नोट वाले खातेदार ।

9- श्री महादेव, नन्छीलाल, पि०मोहरू 1/2, रामचन्द्र पुत्र कल्याण 1/2 जाति माली ।

10- श्री बिरदीचन्द, हजारी पि०चतरू जाति माली ।

11- श्री भौरीलाल पुत्र रूंगनाथ ।

12- श्रीमती कुसुम देवडा पत्नि सुखसिंह देवडा ।

13- श्री कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद चौधरी, बृजमोहन पुत्र प्रहलाद चौधरी, कविन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद चौधरी ।

14- श्री किशनसिंह पुत्र कन्हैया सिंह ।

15- श्री कल्याण, प्रभू पि०चन्या जाति नायक ।

16- श्री रामबाबू, सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल ।

नोट:- राजस्थान आवासन मण्डल एवं खातेदारों द्वारा जमाबन्दी की प्रति पेश की जावे ।

17- कैप्टन विजय सिंह ।

18- राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर जरिये श्री एल०सी०गुप्ता, एवं श्री सी. एम. वर्मा, भूमि अवाप्ति अधिकारी ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात

- आवासीय कॉलोनी हेतु ग्राम [illegible]गोपुर, सांगानेर, तम्बाला एवं खोखावास जिला जयपुर की 1213बीघा 17बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07(3)नविआ/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9"बी" उपधारा (1) में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07(20)नविआ/111/83 दिनांक 19मार्च, 1984 जो राजस्थान राजपत्र के भाग 1(ख) में दिनांक 19मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17(4) की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात् नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9(1) को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई, जिसके अनुसार दिनांक 11-6-84 को कुल 1173बीघा 16बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173बीघा 16बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की धारा 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--4--

5- वर्तमान में उपरोक्त में से अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा बीघा बिस्वा
1-	10/83 §4§	श्री रामदास पुत्र लक्ष्मीनारायण व मुन्नादेवी पत्नि बाबूलाल जाति माली ।	29 30	3 - 01 0 - 03 3 - 04
2-	10/83 §36§	श्री जगन्नाथ पुत्र नानगा, मंगल्या पुत्र छोटू ।	15/1344	0 - 01
3-	10/83 §44§	श्री औंकार पुत्र धामी, गुल्ला, शिवनारायण 1/2, काना, रूपा, नन्दलाल, फूल्या पुत्रान श्योराम व पूरण पुत्र श्योराम नाबालिग संरक्षक मु. ग्यारसी बेवा श्योराम माता खुद हि. 1/4.	868 869 873	4 - 00 0 - 04 2 - 06 6 - 10
4-	10/83 §54§	श्री केशरा पुत्र गंगाराम जाति माली ।	943 944	0 - 07 0 - 08 0 - 15
5-	10/83 §59§	श्री नारायण पुत्र मेडूराम जाति माली ।	899 900	0 - 19 1 - 03 2 - 02
6-	10/83 §66§	श्री मांगीलाल, छोटीलाल, बाबूलाल, रामपाल पि. डूँगाराम ।	947 948 949 955	1 - 02 0 - 15 1 - 01 0 - 10 3 - 08

उप निदेशक
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1-	2-	3-	4-	5-	6-
7-	10/83(68)	श्री मांगीलाल, छोटीलाल,	951	0 - 15	
		नानूलाल व रामलाल पिता	954	1 - 02	
		डूँगा जाति माली ।	1043	0 - 06	
				2 - 03	
8-	10/83(87)	श्री रूंगनाथ, मूलचन्द पि. जम्मन	154	1 - 12	
		हि. 2/3, भौरीलाल, नानगराम,	155	1 - 00	
		गुलाबचन्द, गोपाल, ख्याली, पप्पू,	156	1 - 04	
		पितासेवा हि. 1/3, हि. व. खसरा	159	0 - 04	
		नं0-170 को छोडकर खसरा नं0	160	1 - 06	
		170 की खातेदारी गौरू पुत्र	169	0 - 11	
		मुकन्दा 1/2, आधे हिस्से में उपरोक्त	170	0 - 03	
		नोट वाले खातेदार ।	9/704	0 - 03	
			9/706	0 - 15	
			1/569	0 - 17	
				7 - 15	
9-	10/33(90)	श्री महादेव, नन्छीलाल पिता	29	0 - 07	
		मोहरू 1/2, रामचन्द्र पुत्र कल्याण	30	0 - 03	
		1/2, जाति माली ।	31	0 - 08	
			33	0 - 02	
			34	0 - 02	
			35	0 - 09	
			36	0 - 11	
			37	1 - 07	
			39/40	4 - 02	
			65	6 - 07	
				13 - 18	

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-6--

::6::

1	2	3	4	5	6
10-	10/83(91)	श्री गिरदीचन्द, हजारी	41	0 - 01	
		पि. चतरू जाति माली।	42	1 - 16	
			44/45	1 - 11	
			46	0 - 12	
			47	0 - 02	
			48	0 - 09	
			52	0 - 09	
			53	0 - 11	
			91	0 - 03	
			100	0 - 06	
			101	0 - 11	
			47/593	0 - 01	
				6 - 12	
11-	10/83(92)	श्री भैरीलाल पुत्र	49	1 - 07	
		रूंगनाथ ।	54	0 - 15	
			55	1 - 07	
			60	1 - 07	
			61	0 - 11	
			62	0 - 15	
			63	0 - 10	
			64	1 - 03	
				7 - 15	
12-	10/83(95)	श्रीमती कुसुम देवड़ा पत्नि	59	1 - 07	
		सुखसिंह देवड़ा ।	66	1 - 12	
			66/592	1 - 00	
				3 - 19	

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1-	2-	3-	4-	5-	6-
13-	10/83।102।	श्री कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद	85	1	02
		चौधरी, बृजमोहन पुत्र प्रहलाद	86	3	09
		चौधरी, कविन्द्र कुमार पुत्र	87	2	18
		प्रहलाद चौधरी ।	88	1	04
			102	0	10
			110	1	03
			111	0	05
			112	1	10
			113	4	00
			85/604	1	04
			85/605	0	07
			87/606	0	16
			87/607	2	05
			88/609	0	11
			88/610	1	17
			88/611	1	04
			88/612	0	15
			86/613	0	10
			112/614	0	14
			112/615	0	09
			112/616	0	16
			112/617	0	17
			112/618	0	04
			113/620	1	02
			107	1	08
			109	1	00
			108	0	16
				31	16

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-8--

[seal stamp]

---::8::---

1-	2-	3-	4-	5-	6-
14-	10/83॥123॥	श्री किशनसिंह पुत्र कन्हैयासिंह	259/563-	0 - 12	
			259/564	0 - 13	
				1 - 05	
15-	10/83॥139॥	श्री कल्याण, प्रभू, पि. चन्या जाति नायक ।	383	0 - 14	
			384	0 - 11	
			385॥ 381॥	0 - 16	
			386.	0 - 02	
			388	0 - 05	
			390॥ 391॥	0 - 18	
			392	1 - 01	
			393	0 - 12	
			394॥ 395॥	3 - 08	
				8 - 07	
16-	10/83॥147॥	श्री रामबाबू, सत्यनारायण पुत्र वंशीलाल, नोट-राजस्थान आवासन मण्डल एवं खातेदारों द्वारा जमाबन्दी की प्रति पेश की जावे ।	161	1 - 07	
17-	10/83॥161॥	कैप्टन विजय सिंह ।	406	11 - 10	

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तदनुसार अवार्ड दिया जा रहा है ।

1- अधिनियम की धारा 9॥3॥ के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया इनमें दावेदारों द्वारा क्लेम पेश किये गये जो पत्रावली में संलग्न है ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश: -9--

2- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम के उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुये अस्वीकार किया तथा यह बताया गया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रूपये प्रतिबीघा हो सकती है ।

3- भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा तकमीना पेश किया गया है जो सम्बन्धित पत्रावली में संलग्न है ।

4- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 1,00,000/- रूपये प्रतिबीघा तक दिये जाने की मांग की है ।

5- राजस्थान आवासन मण्डल ने अपने जवाब में यह अंकित किया है कि इस भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/-रूपये प्रतिबीघा हो सकती है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम श्योपुर की 3बीघा 03बिस्वा भूमि रूपये-29,999/-में बेची गई है, की फोटो प्रति पेश की है, जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत 9,525/-प्रतिबीघा है, किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने पर यह तथ्य जानकारी में आता है कि यह विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है:-

" यह भूमि दम्वाला नदी के पास स्थित है । विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चपेट में आ जाने से खाले पड़े रह हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा शेष डेढ़ या पोने दो बीघा जमीन कार्य की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाता है । "

इस प्रकार यह विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उसमें विक्रय तो 3बीघा 3बिस्वा दिया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूँकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर निश्चित् किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा ।

निदेशक/अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--10:-

राजस्थान, जयपुर

---::10::---

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15-3-84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम प्रतापपुर में बीघा 01बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रूपये-30,000/-में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/- प्रतिबीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड़ साईड पर नहीं है एवं बारानी है ।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है अत: इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलें में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम कम्बाला की 7बीघा 18बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-3-83 को रूपये 25,000/-में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है, जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 9,500/-आती है । इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई भूमि टोंक रोड से करीबन $1\frac{1}{2}$-मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिये मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

6- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्रों की प्रतियाँ पेश की है उन मामलों में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गयाहै एवं भूमि की स्थिति भी बिल्कुल भिन्न है । भूमि के एक छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता, अत: इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा ।

7- इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त-2, जयपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय जयपुर क्रमश: दिनांक 4-2-85एवं20-2-85

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-11---

129

---::||::----

-एवं 15-6-85 की फोटो प्रतियाँ पेश की गई है जिनके अनुसार भूमि का मुआवजा लगभग रूपये-40,000/-प्रतिबीघा की दर से तय किया गया है, किन्तु इन मामलों में सम्बन्धित विभागों का भूमि विशेष की आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है। अत: इन अवार्डों के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा।

8- मैंने इन प्रकरणों से सम्बन्धित मौका का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी। यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है। अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अत: मैं भूमि की पोटेन्शियालिटी के आधार पर एवं सांगानेर टाउन के समीप होने के कारण एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुये मौके मुआयने के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

9- इन सभी मामलों में मुआवजा निर्धारण करते समय सबसे बड़ी कठिनाई अल्सर एक्ट बाबत आयी, क्योंकि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रभावित है उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। अत: उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित भूमि के अल्सर एक्ट से प्रभावित होने के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को अनेकों बार लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इन भूमियों के एक्ट से प्रभावित नहीं होने बाबत पेश नहीं की गयी। अनेकों बार स्मरण करवाने के पश्चात् सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक प01{4}भू.अ./677 दिनांक 23-5-88 द्वारा सक्षम अधिकारी {प्रथम} नगर भूमि कर विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 5-12-87 के साथ में अधिनियम की धारा 10{5} से प्रभावित भूमि एवं धारा 10{6} के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण को कब्जा दी गयी भूमि की सूची की फोटो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं मौखिक रूप से यह बताया गया कि जो भूमि अल्सर एक्ट से -

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-12--

-प्रभावित है उसके खसरा नं0-सूची में दर्ज है एवं जिनके खसरा नं0 सूची में दर्ज नहीं है वह अरबन एक्ट से प्रभावित नहीं है । इन सारी परिस्थितियों में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी चूंकि उपरोक्त मामलों की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूची में अंकित नहीं है, इस आधार पर यह अवार्ड जारी किया जा रहा है ।

10- उपरोक्त मामलों में भूमि पर स्थित पेड़ों के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत तकमीने के अनुसार एवं जिन मामलों में स्थिति में अन्तर है,उनमें मौके की स्थिति के अनुसार मुआवजा दिया जा रहा है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1- वाद संख्या:- 10/83§4§ खातेदार-श्री रामदास पुत्र लक्ष्मीनारायण व मुन्नादेवी पत्नि बाबूलाल जाति माली:-

---

1- कुल भूमि 3बीघा 4बिस्वा का मुआवजा रूपये-26,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 83,200.00

2- डोले, कूएँ, बोरिंग, पक्का निर्माण, होदी, बाउन्ड्रीवाल व पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रू. 2,82,214.90

3,65,414.90

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 1,09,624.47.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी। इसमें स्टे अवधि का ब्याज देय नहीं होगा ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

2- वाद संख्या:- 10/83§36§खातेदार-श्री जगन्नाथ पुत्र नानगा, मंगल्या पुत्र छोटू:-

---

1- कुल भूमि 1बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/-
प्रतिबीघा की दर से रूपये- 1,250.00
2- कूएँ का तकमीना राजस्थान आवासन
मण्डल के अनुसार रूपये- 27,947.64

29,197.64

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 8,759.21.

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

3- वाद संख्या:- 10/83\|44\|-खातेदार-श्री औंकार पुत्र धारी हि. 1/4 धन्ना, गुल्ला, शिवनारायण 1/2, काना, रूपा, नन्दलाल, फूल्या पुत्रान श्योराम व पूरण पुत्र श्योराम नाबालिग संरक्षक मु. ग्यारसी बेवा श्योराम माता खुद हि. 1/4. :-

1- कुल भूमि 6बीघा 10बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/-
प्रतिबीघा की दर से रूपये- 1,62,500.00
2- बोरिंग, कुआँ आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 18,803.76

1,81,303.76

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 54,391.13

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

4- वाद संख्या:- 10/83\|54\|-खातेदार-श्री केशरा पुत्र गंगाराम जाति माली:-

1- कुल भूमि 15बिस्वा का मुआवजा रूपये- 26,000/-प्रतिबीघा
की दर से रूपये- 19,500.00
2- पेड़ों का तकमीना राजस्थान आवासन
मण्डल के अनुसार रूपये- 810.00

20,310.00

क्रमशः- 14--

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 6,093.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

5-- वाद संख्या:- 10/83{59}खातेदार-श्री नारायण पुत्र भैरूराम जाति माली :-

1- कुल भूमि 2बीघा2बिस्वा का मुआवजा रूपये-24,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 50,400.00

2- कुआँ, पेड़, होदी निर्माण आदि का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 36,471.91

86,871.91

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 26,061.57

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

6- वाद संख्या:- 10/83{66}खातेदार-श्री मांगीलाल, छोटीलाल, बाबूलाल, रामपाल पि0डूँगाराम:-

1- कुल भूमि 3बीघा 8बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 85,000.00

2- मकानों का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 28,000.00

1,13,000.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 33,900.00

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-15--

7- वाद संख्या:- 10/83160 खातेदार-श्री मांगीलाल, छोटीलाल, बाबूलाल, व रामलाल पिता डूँगाराम जाति माली:-

-=-

1- कुल भूमि 2बीघा 3बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 53,750.00

2- डोला, व पेड़ों का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 775.00

54,525.00

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 16,357.50

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

8- वाद संख्या:-10/83107 खातेदार-श्री रूगनाथ, मूलचन्द पिता जम्मन, हि. 2/3, भौरीलाल, नानगराम, गुलाबचन्द, गोपाल, खयाली, पप्पू, पिता सेवा हि. 1/3 हि. व. खसरा नं0170 की खातेदारी गौरू पुत्र मुकन्दा 1/2 आधे हिस्से में उपरोक्त नोट वाले खातेदार:-

-=-

1- कुल भूमि 7बीघा 15बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 1,93,750.00

2- कुआँ, बोरिंग, एसीपाईप, पेड़, झौपड़ी, स्ट्रक्चर्स का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 33,053.59

2,26,803.59

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये-68,041.08

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा , जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-16--

9- वाद संख्या:- 10/83।90।खातेदार-श्री महादेव, नन्छीलाल, पि०मोहरू।/2 रामचन्द्र पुत्र कल्याण ।/2, जाति माली :-

---

1- कुल भूमि ।3बीघा ।8बिस्वा का मुआवजा रूपये- 26,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 3,61,400.00

2- छप्पर, कुआँ, पेड़, पक्का निर्माण, बोरिंग आदि का तकमीना रूपये- 2,88,831.34

6,50,281.24

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 1,95,069.37

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

10- वाद संख्या:-10/83।91।खातेदार-श्री बिरदीचन्द, हजारी, पि०चतरू जाति माली:-

---

1- कुल भूमि 6बीघा ।2बिस्वा का मुआवजा रूपये-26,000/- प्रतिबीघा की दर रूपये- 1,71,600.00

2- डोला, पक्का निर्माण, झौंपडी, पेड़ आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 49,941.20

2,21,541.20

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 66,462.36

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

11- वाद संख्या:- 10/83।92।-खातेदार श्री भौंरीलाल पुत्र रूगनाथ:-

---

1- कुल भूमि 7बीघा ।5बिस्वा का मुआवजा रूपये- 25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 1,93,750.00

2- कुआँ, बोरिंग, डोला, घुमटी झौंपड़ी, पेड़, आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 62,565.96

2,56,315.96

क्रमशः-17--

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 76,094.79

उपरोक्त राशि पर भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

12- वाद संख्या:- 10/83(95) खातेदार-श्रीमती कुसुम देवड़ा पत्नि सुखसिंह देवड़ा :-

1- कुल भूमि 3बीघा 19बिस्वा का मुआवजा रूपये-26,500/- प्रतिबीघा की दर से रूपये-	1,04,675.00
2- डोले, कुआँ, बोरिंग, टैंक आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रू0-	29,243.74
3- पेड़ों व गुलाब के पौधों का तकमीना मौके की स्थिति के अनुसार रूपये-	79,350.00
	2,13,268.74

4- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 63,980.02

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

13- वाद संख्या:- 10/83(102)खातेदार-कन्हैयालाल, पुत्र प्रहलाद चौधरी, बृजमोहन पुत्र प्रहलाद चौधरी, कविन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद चौधरी:-

1- कुल भूमि 31बीघा 16बिस्वा का मुआवजा 27,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये-	8,58,600.00
2- कुआँ, होदिया, टैंक, एसी पाईप, बोरिंग, (3) आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल केअनुसार रूपये-	64,273.29
3- पेड़ों का तकमीना मौके की स्थिति के अनुसार रूपये-	66,950.00
	9,89,823.29

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

4- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 2,96,946.98

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

14- वाद संख्या:- 10/83।123।-श्री किशनसिंह पुत्र कन्हैया सिंह:-

1- कुल भूमि 1बीघा5बिस्वा का मुआवजा रूपये- 26,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 32,500.00

2- पक्का निर्माण, पेड़, प्लाँट आदि का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 56,913.22

89,413.22

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 26,823.97

उपरोक्त राशि पर भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा , जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

15- वाद संख्या:- 10/83।139।-खातेदार श्री कल्याण, प्रभू, पि0चन्दा जाति नायक:-

1- कुल भूमि 8बीघा 7बिस्वा का मुआवजा रूपये-25,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 2,08,750.00

2- डोला, पेड़, कुआँ, बोरिंग, छुमटी, झौपडी, आदि का तकमीना रूपये- 25,545.63

2,34,295.63

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 70,288.69

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--19--

16- वाद संख्या:-10/83।47।-खातेदार-श्री रामलाल, सत्यनारायण पुत्र वंशीलाल:-

नोट:- राजस्थान आवासन मण्डल एवं खातेदारों द्वारा जमाबन्दी की प्रति पेश की जावे ।

-=-

1- कुल भूमि 1बीघा 7बिस्वा का मुआवजा रूपये-26,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 35,100.00

2- डोला, कुआँ, बोरिंग, पक्का निर्माण, झोपडी पेड़, आदि का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 75,131.93

	1,10,231.93

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये-33,069.58

उपरोक्त राशि पर नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

17- वाद संख्या:- 10/83।61।-खातेदार-कैप्टन विजयसिंह:-

-=-

1- कुल भूमि 11बीघा 10बिस्वा का मुआवजा रूपये-26,000/- प्रतिबीघा की दर से रूपये- 2,99,000.00

2- कुआँ, बोरिंग, होदी, ठंटो का कमरा, पेड़, आदि का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 28,742.96

	3,27,742.96

3- 30% सोलेशियम की राशि रूपये- 98,322.89

उपरोक्त राशि पर भुगतान की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं आवासन

भूमि अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-20--

-विभाग ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक:प07(20)नविआ/3/83पार्ट दिनांक 31-12-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गयी है । अत: आज दिनांक 31-12-88 को भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। इसकी प्रतियाँ सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित हैं ।

अवार्ड सरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1- श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0, जयपुर ।

2- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

3- तहसीलदार-----------

4- सम्बन्धित खातेदार श्री . . . .

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।